117

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (म0प्र0)

[Court fee stamps: 5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES; 10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES]

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जरिये वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल रीवाम

-----------आवेदक

विरुद्ध-

महेश प्रसाद ,

लक्ष्मी प्रसाद,

श्रीनिवास,

चन्द्र शेखर प्रसाद,

(सभी पुत्रगण हरिदास , वानी निवासी ग्राम-गोविन्दगढ

जिला-रीवा म.प्र.

-----------अनावेदक

रिव. 1398-III/03

10/9/03

पुर्नविलोकन आवेदन-पत्र विरुद्ध राजस्व मण्ड के प्र.क्र. अ/169/03/97 में पारित आदेश दिनांक-4-10-2002 द्वारा मान0 सदस्य रामसिंह राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुर्नविलोकन आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा-51 म0 भू0 रा0 संहिता-सन् 1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

XXXIX(a)BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – रीवा

प्रकरण कमांक रिव्यू 1398–तीन/03

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-11-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 169–तीन/97 में पारित आदेश दिनांक 4–10–2002 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है 2– आवेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये । अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं । 3– आवेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । विचारोपरांत यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में पुनरावलोकन हेतु पर्याप्त आधार है क्योंकि आलोच्य आदेश पारित करते समय इस तथ्य को अनदेखा किया गया है कि आलोच्य भूमि रिजर्व फॉरेस्ट की भूमियां हैं जिन्हें पट्टे पर देने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है । अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 04–10–12 निरस्त किया जाकर मूल प्रकरण निगरानी 169–तीन/97 पुनः सुनवाई हेतु नियत किए जाने के आदेश दिए जाते हैं । तदनुसार यह पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । सदस्य	